

संख्या-1021/15-7-97-14(26)/2007

प्रेमक,

सदान्वय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री मं,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (2) अनुमान

संलग्नक: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2007

विषय :- विरहित पत्राचार फर्न्डेट स्कूल पुनर्गठन, साहजपुर को सी०बी०ए०ए० नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनुपातित प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

अनुसूचित विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करत हुने मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सर्वांगीत विद्यालय को सी०बी०ए०ए० नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनुपातित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रातियोगों के अधीन आपातित नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सीसावटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायगा।
- (2) विद्यालय की प्रथम स्तरांत में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदायी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेने और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से फिती अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धित सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कीरित आरू दि समिटयन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबन्धित प्राप्त होने का लक्षण से उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सम्पाद्य हो जायेगे।
- (5) शिक्षा के शैक्षिक एवं शिकनेतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम तनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेने।